रोजगार के अवसर सरकार की प्राथमिकता

यूपी का बजट पेश : कृषि योजनाओं पर जोर 10,888 करोड़ रुपए का प्रावधान

लखनऊ, 11 फरवरी. योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि किसानों, युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों का सशक्तिकरण, रोजगार के अवसर सृजित करना सरकार की प्राथमिकता है.

सरकार ने अपनी बात को सार्थक करते हुए बजट में कृषि योजनाओं पर जोर दिया। इस बजट में कृषि योजनाओं के लिये 10,888 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

बजट में पशुधन, मत्स्य, खाद्य-रसद, उद्यान विभाग के लिए भी बजट में बड़ी धनराशि की व्यवस्था

की है। यूपीएग्रीज परियोजना के अन्तर्गत एग्रीएक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिये 245 करोड़ रुपये सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बजट 2026-27 में कृषि योजनाओं के लिये लगभग 10,888 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, यह वर्ष 2025-2026 के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है। खन्ना ने बताया कि वर्ष 2026-2027 में 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन एवं 48.18 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य है।

> एक्वाब्रिज द्वारा प्रस्तावित यूपीएग्रीज परियोजना में एक्वा कल्चर आधारभूत संरचना के तहत विश्वस्तरीय हैचरी तथा विश्वस्तरीय ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की बाह्य सहायतित परियोजना के लिये 155 करो? रुपये प्रस्तावित किए गए हैं.यूपीएग्रीज परियोजना के अन्तर्गत एग्रीएक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिये 245 करो? रुपये तथा किसान उत्पादक संगठनों हेतु रिवाल्विंग फण्ड योजना के लिये 75 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है.

चाइनीज मांझे की चपेट में आकर युवक गंभीर रूप से घायल

प्रयागराज, 11 फरवरी. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चाइनीज मंझे पर प्रतिबंध के शासनादेश के बावजूद प्रयागराज में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, जिससे लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। प्रयागराज में मंगलवार शाम को एक ऐसा ही मामला सामने आया, जब सिविल लाइंस इलाके में निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी महेंद्र सिंह चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी आंख के पास गहरी चोट आई है और सात टांके लगाने पड़े। महेंद्र सिंह कीडगंज थाना क्षेत्र के निवासी हैं। वह एक निजी फाइनेंस कंपनी में फील्ड ऑफिसर के पद पर तैनात हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के मंडल प्रभारी भी हैं.

सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं सरकार

एक्स पर पोस्ट करते हुए लगाए लापरवाही के आरोप

अब दिल्ली की जनता सुरक्षित नहीं : केजरीवाल

पूर्व सीएम ने कामकाज को लेकर उठाए सवाल

नई दिल्ली, 11 फरवरी. दिल्ली की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला है.

उन्होंने आरोप लगाया कि एक

साल के भीतर राजधानी की स्थिति बिगड़ गई है और प्रशासन जनता की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार कब जागेगी और कब जवाबदेही तय होगी। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। विपक्ष इसे शासन-प्रशासन की विफलता बता रहा है, जबकि सत्तापक्ष की ओर से अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

दिल्ली में हाल के घटनाक्रमों, नागरिक सुविधाओं और सुरक्षा के मुद्दों को लेकर पहले भी आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं, लेकिन केजरीवाल का यह बयान राजनीतिक माहौल को और तीखा बना गया है। सोशल मीडिया पर भी इस पोस्ट को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है, जहां समर्थक और विरोधी अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

अमेरिका की मिडिल-ईस्ट में बढ़ी तैनाती

नई दिल्ली,12 फरवरी. मिडिल-ईस्ट में एक बार फिर भू-राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने कई अहम सैन्य ठिकानों पर तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से खुलासा हुआ है कि कतर के अल-उदीद एयरबेस पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को स्थायी लॉन्चर से हटाकर ट्रकों पर रखा गया है। यह बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि रणनीतिक संकेत माना जा रहा है। इससे मिसाइलों को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर नई पोजिशन में तैनात किया जा सकता है।

जनवरी की तुलना में फरवरी में अमेरिकी विमानों, टैंकरों और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की संख्या भी कई बेसों पर बढ़ी नजर आई है। जॉर्डन, सऊदी अरब, ओमान और हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया तक यह गतिविधि फैली हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ईरान पर सैन्य दबाव बनाने के साथ-साथ संभावित हमले की तैयारी का संकेत भी देता है, जबकि दूसरी ओर दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट और फोरेंसिक इमेजरी विश्लेषण से सामने आया है कि फरवरी की शुरुआत में कतर के अल-उदीद एयरबेस पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम एचईएमटीटी ट्रकों पर तैनात दिखा। विश्लेषक विलियम गुडहाइंड के अनुसार, यह बदलाव मिसाइलों को अधिक मोबाइल और सुरक्षित बनाता है,नई जगह पर ले जाया जा सके। 1 फरवरी की तस्वीरों में यहां एक आरसी-135 रीकॉनिसेंस विमान, तीन ष्ट-130 हरक्यूलिस, 18 के सी -135 स्ट्रैटो टैंकर और सात सी -17 विमान दिखाई दिए.

निवेशकों को निवेश का दिया न्योता

नई दिल्ली, 11 फरवरी. ओमान अपने प्लास्टिक क्लस्टर की सफलता को दोहराने की कोशिश के तहत भारतीय निवेशकों को नयी योजना वाले एल्युमीनियम प्रोसेसिंग ज़ोन में हिस्सा लेने के लिये आमंत्रित कर रहा है.

इससे यह पहल तेज़ी से बढ़ रही

भारत-ओमान आर्थिक साझेदारी के तहत आयेगी। लादायन कार्यक्रम के प्रमुख मुंधर अल-रवाहि ने यूनीवार्ता से बातचीत में कहा कि ओमान एल्युमिनियम क्षेत्र के इर्द-गिर्द एक संपूर्ण इकोसिस्टम विकसित करना चाहता है।

दिल्ली में 10 लाख की रिश्वत लेते एएसआई बंदी

नई दिल्ली, 11 फरवरी. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली पुलिस के सीआर पार्क थाने में तैनात एक सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) को कथित रूप से 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी पर प्रॉपर्टी विवाद सुलझाने और शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई न करने के बदले यह रकम मांगने का आरोप है.

सीबीआई ने मंगलवार को आरोपी एएसआई सुंदर पाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था. एजेंसी के अनुसार, आरोपी ने शिकायतकर्ता से प्रॉपर्टी विवाद निपटाने के नाम पर 25 लाख रुपये की मांग की थी और आश्वासन दिया था कि उसके खिलाफ कोई

प्रॉपर्टी विवाद सुलझाने के नाम पर मांगी थी रिश्वत

कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी.

सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी को 25 लाख रुपये की कथित रिश्वत में से 10 लाख रुपये की आंशिक रकम मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल

विज्ञप्ति क्र. 1429 — दिनांक 11.02.2026

विज्ञप्ति

प्राधिकरण मुख्यालय एवं संचालित क्षेत्रीय कार्यालय हेतु मुख्य महाप्रबंधक के 02 रिक्त पदों की पूर्ति प्रतिनियुक्ति/सेवा-निवृत्ति उपरांत संविदा के माध्यम से किये जाने हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
पूर्णत: भरे हुये आवेदन पत्र जमा करने की **अन्तिम दिनांक 05.03.2026** है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट rrda.mp.gov.in पर उपलब्ध है। प्राधिकरण द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति को एवं चयन की समस्त प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।

म.प्र. माध्यम/124427/2026 — **मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)**

एक नजर में

फिलीपींस में जहाज डूबने से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 52

फिलीपींस, 11 फरवरी. फिलीपींस के बेसिलन प्रांत के पास यात्री-मालवाहक जहाज त्रिशा कर्सिटन 3 के डूबने से कम से कम 52 लोगों की मौत हो गयी है। फिलीपीन कोस्ट गार्ड (पीसीजी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पीसीजी ने तकनीकी गोताखोर टीमों के चल रहे प्रयासों का हवाला देते हुए बताया कि गोताखोरों ने मंगलवार तड़के बालुक-बालुक द्वीप के पास खोज अभियान के दौरान एक और शव बरामद किया, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 52 हो गयी है। कुल मिलाकर 316 लोगों को बचा लिया है,बचाव दल अभी भी शेष पीड़ितों की तलाश में जुटे हैं। यह जहाज 26 जनवरी की रात बेसिलन से लगभग एक समुद्री मील की दूरी पर डूब गया था, जिसमें 332 यात्री -चालक दल के 27 सदस्य सवार थे।

ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज बने मोदी : उच्चायुक्त

नई दिल्ली. भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्तअनिल सूकलाल ने बुधवार को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर विकासशील देशों की चिंताओं को लगातार उठाने में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की सराहना की.

NAME CHANGE

I Nehakumari Anilkumar Jangid W/O, Anand Athwasiya R/o D 1664 Sudama Nagar, Indore 452009 have changed my name to Neha Jangid.

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, इंदौर संभाग क्रमांक-02, इंदौर
जी-13, प्रथम 'तल' एम.आई.जी. कॉलोनी, एम.आई.जी. थाने के पीछे, इंदौर (म.प्र.) मो. नं. : 9425601512
E-mail-Id : mpphidclindore2@gmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना - 43/2025-26

म.प्र.पु.आ.एवं अधो.वि.नि., इंदौर संभाग क्र. 02, इंदौर द्वारा क्रमश: शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण कार्य, हरिबड़ (जिला बड़वानी) एवं 60 बैरेक डी.आर.पी. लाइन खंडवा, जिला खंडवा हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र **दिनांक 25.02.2026 तक** खरीदे जा सकते हैं, जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **https://mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/124420/2026 — **परियोजना यंत्री**

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड — IDFC FIRST Bank
(पूर्व में केपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के संग एकीकृत)
(CIN: L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +91 44 4564 4000, फैक्स : +91 44 4564 4022

अनुच्छेद - IV [नियम 8 (1)]
कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)

क्योंकि अधोहस्ताक्षरी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में केपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के संग एकीकृत) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स तथा एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ी गई धारा 13 (12) के तहत अधिकारों के पालन में 16.09.2023 को एक डिमांड नोटिस जारी की है, जिसमें उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में दर्शाई गई राशि रु. 2,69,129.28/- (केवल दो लाख उनहत्तर हजार एक सौ उनतीस रुपये और अट्ठाईस पैसे) मात्र का पुनर्भुगतान करने को देनदारों, सह-देनदारों व गारंट यानी 1. श्री सज्जन सिंह, 2. श्रीमती निर्मला साजन सिंह से कहा गया है, जो 17.09.2023 को आधार मानकर बकाया राशि है.
क्योंकि देनदार राशि वापस लौटाने में असमर्थ रहे हैं, अत: देनदारों कोतथा सामान्य तौर पर जनसाधारण को नोटिस दी जा रही है कि अधोहस्ताक्षरी ने 09 फरवरी 2026 को सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े गए उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उन्हें दिए गए अधिकारों के अनुपालन में निम्न वर्णितसंपत्तियों का भौतिक कब्जा ले लिया है.
विशेष तौर पर देनदारों व सामान्य तौर पर जनसाधारण को संपत्तियों के साथ कोई लेन-देन नहीं करने को आगाह किया जाता है तथा संपत्तियों में लेन-देन करने वाला कोई भी व्यक्ति बकाया राशि रु. 2,69,129.28/- (केवल दो लाख उनहत्तर हजार एक सौ उनतीस रुपये और अट्ठाईस पैसे) मात्र व उस पर लागू ब्याज के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में केपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के संग एकीकृत) के चार्ज के प्रति जवाबदेह होगा.
सिक्योर्ड एसेट को रिडीम करने के लिए उपलब्ध समय में संदर्भ में देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब-सेक्शन (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है.

गिरवी रखी संपत्ति का विवरण

सर्वेक्षण संख्या 844, पीएच संख्या 14 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका माप 450 वर्ग फुट है, यानी 41.82 वर्ग मीटर, ग्राम बाड़ीगांव तहसील, गुलाना, शाजापुर, मध्य प्रदेश 465227, और, जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं: पूर्व-दीप सिंह का मकान, पश्चिम-सड़क, उत्तर-रमेश का मकान, दक्षिण- सड़क

दिनांक : 09-02-2026
स्थान : मध्य प्रदेश
लोन खाता नं. : 38474715

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में केपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के संग एकीकृत)

हाई-सीज ऑयल रैकेट की जांच में तीन जहाज रडार पर

नई दिल्ली, 11 फरवरी. भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने मुंबई तट से करीब 100 समुद्री मील दूर रोके गए तीन जहाजों के खिलाफ औपचारिक जांच शुरू कर दी है। इन पर एक संगठित अंतरराष्ट्रीय तेल तस्करी नेटवर्क का हिस्सा होने का संदेह है। फिलहाल ये तीनों पोत मुंबई तट के पास लंगर डाले हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार, जांच में यह संकेत मिले हैं कि कम लागत वाले तेल और तेल-आधारित कार्गो को संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों से समुद्री मार्ग के जरिए गुप्त रूप से स्थानांतरित किया जा रहा था। समुद्री खुफिया आकलन बताते हैं कि जांच के दायरे में आए ये जहाज़ ईरान-संबंधित पेट्रोलियम व्यापार से जुड़े अमेरिकी प्रतिबंधों की सूची में भी शामिल हैं. अमेरिकी वित्त विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल जांच एजेंसियां इन जहाजों के संभावित संबंध संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित भारतीय कारोबारी जुगविंदर सिंह बरार से जुड़े एक व्यापक नेटवर्क से भी जोड़कर देख रही हैं।

आज का इतिहास

- 1742 - महान मराठा दिग्गज नाना फडनवीस का जन्म।
- 1809 - ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का जन्म।
- 1809- अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जन्म।
- 1818- चिली ने स्पेन से आजादी की औपचारिक घोषणा की।
- 1824- आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म।
- 1920- खलनायक की भूमिका के लिए मशहूर रहे बॉलीवुड एक्टर प्राण का जन्म।
- 1922- चौरी-चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खत्म करने की घोषणा की।

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड — Aadhar Housing Finance Ltd
कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
धार शाखा: प्लॉट नंबर-70, प्रथम मंज़िल, त्रिमूर्ति नगर, मेन रोड, जिला धार - 454001 (मध्य प्रदेश)

ई-नीलामी - बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। इसके द्वारा सामान्य रुप से सर्वसाधाण को और विशेष रुप से ऋणी(यों) एवं जमानतदार(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका कब्जा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है'** बिना किसी ज्ञात बाधा के आधार पर विक्रय किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रं.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो)/जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)	कब्जे का प्रकार
1.	(लोन कोड नं. 06800000083 एवं 06800000718 / धार शाखा) सलमान खान (ऋणी) इरफान खान (सह-ऋणी)	08-04-2025 & ₹ 5,42,813/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, आवासीय मकान सेटलमेंट नंबर 411, पटवारी हल्का नंबर पुराना 55 नया 100, ग्राम आबादी लुन्हे रखुजुर्ग, तहसील मनावर, धार, मध्य प्रदेश- 454001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - कालेखा पिता शब्बा खा का मकान, पश्चिम - लुन्हेरा उमरबन रोड, उत्तर- फिरोज चाचा का मकान, दक्षिण - शाजदा खा पिता शबाब खा का मकान	Rs. 10,82,000/-	Rs. 1,08,200/-	भौतिक

1. केवाईसी, निविदा प्रपत्र एवं स्वीकृत नियम एवं शर्तों (निविदा दस्तावेज) के साथ बयाना राशि का डीडी जमा करने की अंतिम तिथि **18-03-2026 शाम 5:00 बजे** तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या **https://bankeauctions.com** पर अपलोड की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 2. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि **20-03-2026 दोपहर : 3:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक** https://bankeauctions.com पर है। 3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो है वह है' के आधार पर** की जाएगी। 4. डिमांड ड्राफ्ट केवल 'आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए। 5. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट https://bankeauctions.com के माध्यम से 'ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें। 6. इच्छुक बोलीदाताओं को https://bankeauctions.com/registration/ signup, लिंक के माध्यम से पोर्टल मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए, और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता वेबसाइट https://bankeauctions.com के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। 7. अधिक जानकारी के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, **दीपक मालवीय, (संपर्क नंबर 7583898990)** या सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, **श्री प्रभाकरन, मोबाईल नं. +91-74182-81709, ई-मेल: tn@c1india.com & support@bankeauctions.com**, फोन नं. **+917291981124 /25 /26** से संपर्क करें। आज तक, एएचएफएल/ एएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटान करने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है। 8. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल), सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी **www.aadharhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें। 9. नीलामी के लिए बोली वृद्धिशील राशि **रु. 10,000/-** है। 10. यह समाचार पत्र प्रकाशन एवं इसमें निहित डेटा आम जनता के प्रसार के लिए है। इस सामग्री का किसी भी रुप में या किसी भी माध्यम से, चाहे प्रिंट, डिजिटल, किसी भी रुप में इलेक्ट्रानिक प्रकाशन, ईमेल या वेब प्रकाशन, या किसी भी अन्य माध्यम से, संपूर्ण या आंशिक रुप से किसी भी तरह से पुनरुत्पादन, वितरण, प्रसारण या पुनर्प्रकाशन सख्त वर्जित है। किसी भी माध्यम से उपरोक्त सामग्री के किसी भी अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरुप AHFL द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान : मध्यप्रदेश, दिनांक : 12.02.2026 — सही/- प्राधिकृत अधिकारी, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

IDBI BANK — आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
क्षेत्रीय कार्यालय, 16-सी, ओमनी पेलेस, रतलाम कोठी, मेन रोड, इन्दौर-452001, फोन: 0731-6679152, 99607 14961, 98260 81279
ई-नीलामी विक्रय सूचना

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना
परिशिष्ट-IV-क (नियम 9(1) के परन्तुक देखें)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के अन्तर्गत चिल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना
आम जनता को साधारणत: एवं निम्न वर्णित संपत्ति के ऋणीयों/जमानतदारों/ बंधककर्ताओं को विशेषत: सूचीत किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल संपत्ति आईडीबीआई बैंक **(सुरक्षित लेनदार)** के पास बंधक है तथा बैंक के **प्राधिकृत अधिकारी** द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति का **भौतिक कब्जा** ले लिया गया है। निम्न वर्णित संपत्ति का विक्रय निम्न वर्णित दिनांक को आईडीबीआई बैंक (सुरक्षित लेनदार) के बकाया राशि वसूली करने हेतु **जहां है जैसा है, जो है जैसा है, जो कुछ भी है** के आधार पर **दिनांक 27.02.2026** को विक्रय किया जा रहा है। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशि (ईएमडी) का विवरण निम्नानुसार है:

क्रं.	ऋणी / जमानतदार / बंधककर्ता का नाम	1) मांग सूचना दिनांक 2) कब्जा दिनांक 3) मांग सूचना अनुसार बकाया राशि	1) आरक्षित मूल्य 2) धरोहर राशि (EMD) 3) बिड वृद्धि राशि	अचल संपत्ति का विवरण (इन्दौर (म.प्र.) स्थित अचल संपत्ति का प्रत्येक भाग एवं समूह जो आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पास बंधक है)
क्षेत्रीय कार्यालय, 16-सी, ओमनी पेलेस, रतलाम कोठी, मेन रोड, इन्दौर-452001; EMD Submission A/c Details : IDBI BANK LIMITED No : 52934915010026, IFSC Code : IBKL0000529; DD Should be drawn in favour of IDBI Bank Ltd., A/c No.: 52934915010026 payable at Pipli Bazar Branch issued by any Nationalised Bank/ Scheduled Bank as (EMD)				
1.	श्री अमोल धकाटे (ऋणी एवं बंधककर्ता)	1) 02.05.2024 2) 12.06.2025 3) 28,03,139/- 02.10.2024 के अनुसार + उसके बाद लागू होने योग्य ब्याज खर्चे एवं चार्जेस	1) ₹ 24,30,000/- 2) ₹ 2,43,000/- 3) ₹ 10,000/-	संपत्ति के सभी प्रमुख अंग फ्लेट नं. 207, दूसरी मंजिल, सिल्वर टेरेस, प्लाट नं. वी-01, सिलिकॉन सिटी, ग्राम निहालपुर मंडी, राउ, इन्दौर (म.प्र.) 452012 पर स्थित अचल संपत्ति, **सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल: 1095 वर्गफीट (101.76 वर्गमीटर)**, **चर्तु:सीमा: उत्तर:** प्लाट नं. वी-02, **दक्षिण:** फ्लेट नं. 206, **पूर्व:** भवन का एमओएस, **पश्चिम:** खुल आसमान एवं सड़क

महत्वपूर्ण तिथियाँ

धरोहर राशि/ईएमडी राशि जमा करने की अंतिम तिथि	: 25.02.2026 सायं 4 बजे तक
निरीक्षण की दिनांक एवं समय	: 16.02.2026 एवं 17.02.2026 समय प्रात: 11 बजे से सायं 4 बजे तक
बिड वृद्धि राशि	: रू. 10,000/- से
ई-नीलामी की दिनांक एवं समय	: 27.02.2026 प्रात: 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रत्येक 5 मिनिट के असीमित विस्तार के साथ (यदि आवश्यक हो)

ब्रिकी की विस्तृत नियमों व शर्तो के लिए, कृपया https:/www.bankeauctionwizard.com एवं आईडीबीआई की वेबसाईट यानि https://www.idbi.bank.in पर दिये गए लिंक को देखें। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक पार्टियां प्राधिकृत अधिकारी, **क्षेत्रीय कार्यालय, 16-सी, ओमनी पेलेस, रतलाम कोठी, मेन रोड, इन्दौर-452001, फोन: 0755-4848320, 99607 14961, 98260 81279** से संपर्क कर सकती है।

सरफेसी अधिनियम 2022 के नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिनों की सूचना

ऋणीयों/जमानतदारों को एतद्द्वारा ई-नीलामी की तिथि से पहले ब्याज सहित उपरोक्त वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी की जाएगी और शेष राशि यदि कोई ब्याज सहित उनसे वसूल की जाएगी। ऊपर उल्लेखित नियमों और शर्तों के अनुसार ऋणियों/जमानतदारों संभावित खरीदार को ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भी ला सकते है।

स्थान: इंदौर, दिनांक: 12.02.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड — Aadhar Housing Finance Ltd
कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
आगर शाखा: ग्राउंड फ्लोर, पूर्वी भाग पर मकान भूमि सर्वे नं.341/2, सारंगपुर रोड, छावनी नाका के पास, आगर 465441 (म.प्र.)
देवास शाखा: प्लॉट नंबर 01, विमला टाउनर, दूसरी मंजिल, राम नगर, ए.बी. रोड, जिला देवास -455001 (मध्य प्रदेश)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता (ओ)(शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 11710000297 / आगर शाखा) दुर्गेश लुहार (ऋणी) भगवान लाल लुहार एवं रामकुंवर लुहार (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जीएफ, बरोद रोड के अंदर, प्लॉट नं. 43, झलारा बरोद, आगर मालवा मध्य प्रदेश 465550 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- रोड एवं धूमसिंह की दुकान, पश्चिम- तुफानसिंह की भूमि, उत्तर- चंदरलाल लोहार का मकान, दक्षिण- रोड	11-08-2025 & ₹ 7,24,370/-	10-02-2026
2	(लोन कोड नं. 11710000041 / आगर शाखा) असद खान (ऋणी) फरीन बानो एवं हाफिज़ आफताब खान (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, भूमि सर्वे नं. 1624/3/4, रकबा 0.282 हेक्टेयर स्थित संपत्ति, 0.007 एरे, में से, ग्राम कस्बा आगर, तहसील एवं जिला आगर, मालवा, मध्य प्रदेश 465441 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- विक्रेता की भूमि रोड, पश्चिम- भंडारी की भूमि, उत्तर- इकबाल खान का मकान, दक्षिण- विक्रेता भूमि	07-07-2025 & ₹ 5,36,960/-	10-02-2026
3	(लोन कोड नं. 02100001913 एवं 02110000227 / देवास शाखा) दशरथ सिंह (ऋणी) ममता कुंवर राजपूत (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, पटवारी हल्का नं. 38, वार्ड नं.5, सरल नं.271, ग्राम इटावा, मकान नं. 120, पुराना एवं 36, नया ग्राम इटावा, श्रीराम मंदिर के पास, जी.डी.सी. कॉलेज, उज्जैन रोड, देवास, मध्य प्रदेश 455001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - राजेंद्र रघुवंशी का मकान, पश्चिम- रफीक का मकान, उत्तर - गली, दक्षिण- सड़क	09-10-2025 & ₹ 11,61,513/-	10-02-2026
4	(लोन कोड नं. 11700000211 / आगर शाखा) रजनीश परमार (ऋणी) शांति बाई मालवीय एवं राजेश कुमार परमार (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, मकान नं. 2 एवं 7/3, वार्ड नं. 03, लक्ष्मणपुरा मार्ग, लखेरा मस्जिद के पास, आगर, जिला आगर मालवा, शाजापुर, मध्य प्रदेश 465441 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- रोड, पश्चिम- शांता बाई का मकान, उत्तर- घिसालाल का मकान, दक्षिण- गली एवं रोड	06-08-2025 & ₹ 2,56,220/-	10-02-2026

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 12-02-2026
प्राधिकृत अधिकारी, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड